

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(डॉ० भंवर लाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 39/2019

दायर दिनांक : 14.11.2019

आदेश दिनांक : 07.03.2024

अनवान

वनेचन्द पिता श्री छगनलाल जी जैन उम्र 69 वर्ष निवासी लाम्बोड़ी तहसील गढबोर
चारभुजा, जिला राजसमन्द
-प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी,
अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर, डी बी एम,
अजमेर रोड, जयपुर, 120 जनपथ श्यामनगर जयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, गढबोर

- विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम
1997 एवार्ड प्रकरण अधिसूचना क्रमांक 1476 दिनांक 06.06.2014 एवार्ड दिनांक 26.03.
2018 राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसर संख्या 1535/694 रकबा 0.0822 वर्गमीटर

उपस्थित:-

अधिवक्ता प्रार्थी	श्री मुकेश तलेसरा,
अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1	श्री गिरीश तिवारी,
अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2, 3	श्री अनिल बागोरा,



प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का
बाघाना से गौमती चौराहा खण्ड तक (किमी 147.750 से किमी 177.050 तक) 4 लाईन
सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के
संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी उप धारा 2 के अनुसरण में

दिनांक 06.06.2014 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1476 दिनांक 06.06.2014 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 1535/694 रकबा 0.0822 हेक्टेयर किस्म आवासीय भूमि को भी अवाप्त किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का एवार्ड दिनांक 26.03.2018 को जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी की राजस्व ग्राम लाम्बोडी में स्थित खसरा संख्या 1535/694 किस्म आवासीय 0.0822 हेक्टेयर भूमि को भी अवाप्त किया गया जिसका मुआवजा मात्र 11,49,814/- रुपये तय किया गया है जिसकी अभिवृद्धि हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा रखे गये पक्ष के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया और मौके पर उक्त भूमि जो अवाप्त की गयी है उसके संबंध में न तो मौके पर सर्वे किया गया न ही मौके पर बने हुए मकान का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में अधिसूचना 3 ए दिनांक 05.07.2013 के प्रकाशन के बाद आपत्ति पेश की गयी लेकिन पेश की गयी आपत्ति में भी उक्त भूमि का एलाइनमेन्ट परिवर्तित नहीं किया गया और मनमकसूद तरीके से केवल एक तरफ की भूमि को अवाप्त किया गया जबकि नियमानुसार दोनों तरफ समान रूप से भूमि अवाप्त किये जाने के प्रावधान है लेकिन उक्त आपत्ति को नहीं सुना गया और आपत्ति का निर्धारण दिनांक 31.01.2014 को गलत रूप से कर दिया गया। उक्त भूमि के संबंध में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 130 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर एक हजार रुपये प्रति वर्गफीट है जबकि मुआवजा मात्र 130 रुपये प्रति वर्गफीट तय किया गया है। उक्त भूमि मुख्य सड़क नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटी हुई है जिसकी तत्कालीन वाणिज्यिक दर भी डीएलसी अनुसार 299 रुपये प्रति वर्गफीट थी। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय दर से निर्धारित किया गया है जो विधि के विपरीत है। राज्य सरकार नेशनल हाईवे से सटी हुई भूमि का पंजीयन किसी भी किस्म की होने पर भी वाणिज्यिक दर से पंजीयन की राशि स्टाम्प ड्यूटी के रूप में वसूल करती है लेकिन उक्त मामले में भूमि का मुआवजा मात्र 130 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि 8845 वर्गफीट अवाप्त की गयी है जबकि इसका मुआवजा 1000 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से 88,45,000/- रुपये देय होता है, जो न तो तय किया गया है न अदा किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का आवासीय मकान 2 मंजिला बना हुआ है जिसमें 4 हॉल, लेट्रिन बाथरूम नाल भूतल पर बने हुए हैं तथा प्रथम तल पर 5 कमरे, कीचन, हॉल, लेट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। उक्त मकान 3000 वर्गफीट में निर्मित है जो 52 गुणित 66 वर्गफीट लम्बाई चौड़ाई में निर्मित है। इस मकान के पास सर्वेन्ट क्वार्टर के रूप में एक कमरा बना हुआ है जो 200 वर्गफीट में निर्मित है। इसके अलावा उक्त भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल करीब 6 फीट से 10 फीट उंचाई में व डेढ़ फीट चौड़ाई में बनी हुई है लेकिन उक्त निर्माण का जानबूझकर विपक्षीयण द्वारा न तो सर्वे करवाया गया, न ही इसका मुआवजा निर्धारित कराया गया। जबकि इस निर्माण के संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवेदन पेश किया गया। अवाप्तशुदा भूमि पर 3000 वर्गफीट भू भाग पर निर्माण किया गया है। उक्त निर्माण 6000 वर्गफीट पर पक्का आरसीसी में किया गया है जिसकी लागत 2000



रूपये प्रति वर्गफीट की है जिस पर संरचना का मुआवजा 1,20,00,000/- रूपये बनता है तथा इसके अलावा 200 वर्गफीट पर बना हुआ कमरा एवं बाउण्ड्रीवाल की संरचना का मुआवजा 12,00,000/- रूपये होता है लेकिन मौके पर बनी हुई संरचना 1,32,00,000/- रूपये का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है न अदा किया गया है। मौके पर बना हुआ मकान कमरे एवं बाउण्ड्रीवाल मौके पर निर्मित है इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा विपक्षी को कई बार प्रतिवेदन दिये लेकिन विपक्षी द्वारा जानबूझकर इरादतन इसका सर्वे नहीं कराया गया, न ही मुआवजा तय किया गया क्योंकि विपक्षी जानबूझकर इसका मुआवजा अदा नहीं करना चाहता है। उक्त भूमि अवाप्त किये जाने के बाद इस पर सड़क निर्माण भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ ही नहीं किया गया इसलिये इसका मुआवजा तय नहीं किया गया है। वैसे भी उक्त भूमि ही गलत रूप से अवाप्त कर दी गयी हैं। मौके पर मकान बने हुए हैं। संरचना का स्थल निरीक्षण न्यायालय सिविल जज राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 63/2015 में पारित आदेश की अनुपालना में दिनांक 13.07.2015 को किया गया है जिसकी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 2 मंजिला मकान कमरा व बाउण्ड्रीवाल निर्मित होना प्रमाणित है। यह स्थल निरीक्षण न्यायालय के आदेश से प्रार्थी एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने मकान का संरचना का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्वेयर से भी सर्वे करा वेल्थूशन निकाली गयी है लेकिन विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के मकान का संरचना का मुआवजा तय ही नहीं किया गया है और जानबूझकर इसका निर्धारण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर बने हुए मकान, कमरे व बाउण्ड्रीवाल की लागत 1,32,00,000/- रूपये एवं भूमि का मुआवजा 88,45,000/- रूपये कुलिया 2,20,45,000/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस राशि पर प्रार्थी अवाप्ति दिनांक 6 जून, 2014 से 1 प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 4 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त मुआवजा राशि की 4 गुना राशि 8,81,80,000/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी अदायगी प्रार्थी को विपक्षी द्वारा नहीं की गयी है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार



प्रार्थीगण की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। अतः बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 07.03.2014 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी हैं। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं जिसके तहत कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अर्थात् उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेख करार में वर्णित बाजार मूल्य या निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत कीमत लिये जाने के प्रावधान है। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त मुआवजा का निर्धारण मनमकसूद तरीके से किया गया है तथा मुआवजा पर कोई ब्याज भी निर्धारित नहीं किया गया है जबकि देरी के संबंध में ब्याज नियमानुसार देय होता है। क्योंकि मुआवजा का निर्धारण विपक्षी द्वारा अवाप्ति की अधिसूचना की बाजार दर अनुसार तय किया गया है। फिर भी ब्याज एवार्ड राशि में नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थीगण की भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में ब्याज, तोषण राशि एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के प्रावधान है। पूर्व में नेशनल हाईवे प्राधिकरण हेतु भू अवाप्ति के प्रावधान लागू नहीं होने बाबत नेशनल हाईवे अधिनियम 1997 की धारा 3 जे. के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने बाबत अधिनियम के तहत रोक थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम तेजसिंह के प्रकरण में दिनांक 19.09.2019 को विनिश्चित करते हुए उक्त धारा को असंवैधानिक माना गया। ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज एवं सोल्यूशन की राशि प्रार्थीगण विपक्षीगण से अपनी अवाप्तशुदा भूमि मकान, संरचना का भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवेदन पेश करने पर भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है न ही संशोधित एवार्ड जारी किया गया है इसलिए प्रार्थीगण को यह याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा विपक्षी द्वारा धारा 3 डी की अधिसूचना क्रमांक 1476(31) दिनांक 06/06/2014 को दिनांक 02 व 03 जुलाई, 2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशन



करवाया गया है तथा धारा 3 ई के तहत अवाप्त भूमि का कब्जा सिपुर्दगी, क्लेम के लिये दस्तावेज पेश करने के लिये संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों/खातेदारों को दिनांक 24/12/2014 को नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित अवधि में कोई क्लेम पेश नहीं किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधिपार होने से यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (11) में दिनांक 06.06.2014 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1476 (अ) दिनांक 06.06.2014 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 बाघाना से गौमती चौराहा खण्ड तक (कि.मी.147.750 से कि.मी. 177.050 तक) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 D के तहत आपत्तियों पर लिए गए निर्णयानुसार तहसीलदार, गढ़बोर से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जाँच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 1535/694 किस्म भूमि आवासीय व बारानी 1 अवाप्त क्षेत्रफल 8844.72 वर्ग फीट का नियमानुसार अर्वाड दिनांक 26.03.2018 द्वारा मुआवजा राशि 11,49,814/- रूपया का प्रार्थी को चैक संख्या 555575 जारी किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा लेने से मनाकर दिया गया है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त ओर कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अर्वाड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के आराजी नम्बर 1535/694 रकबा 0.0822 हेक्टेयर किस्म आवासीय भूमि को भी अवाप्त किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का एर्वाड दिनांक 26.03.2018 को जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी की राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी में स्थित खसरा संख्या 1535/694 किस्म आवासीय 0.0822 हेक्टेयर भूमि को भी अवाप्त किया गया जिसका मुआवजा मात्र 11,49,814/- रूपये तय किया गया है जिसकी अभिवृद्धि हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है उक्त मामले में भूमि का मुआवजा मात्र 130 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि 8845 वर्गफीट अवाप्त की गयी है जबकि इसका मुआवजा 1000 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 88,45,000/- रूपये देय होता है, जो न तो तय किया गया है न अदा किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का आवासीय मकान 2 मंजिला बना हुआ है जिसमें 4 हॉल, लेट्रिन बाथरूम नाल भूतल पर बने हुए हैं तथा प्रथम तल पर 5 कमरे, कीचन, हॉल, लेट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। उक्त मकान 3000 वर्गफीट में निर्मित है जो 52 गुणित 66 वर्गफीट लम्बाई चौड़ाई में निर्मित है। इस मकान के पास सर्वेन्ट क्वार्टर के रूप में एक कमरा बना हुआ है जो 200 वर्गफीट में निर्मित है। इसके अलावा उक्त भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल करीब 6 फीट से 10 फीट उंचाई में व



डेढ़ फीट चौड़ाई में बनी हुई है लेकिन उक्त निर्माण का जानबूझकर विपक्षीगण द्वारा न तो सर्वे करवाया गया, न ही इसका मुआवजा निर्धारित कराया गया। जबकि इस निर्माण के संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवेदन पेश किया गया। अवाप्तशुदा भूमि पर 3000 वर्गफीट भू भाग पर निर्माण किया गया है। उक्त निर्माण 6000 वर्गफीट पर पक्का आरसीसी में किया गया है जिसकी लागत 2000 रुपये प्रति वर्गफीट की है जिस पर संरचना का मुआवजा 1,20,00,000/- रुपये बनता है तथा इसके अलावा 200 वर्गफीट पर बना हुआ कमरा एवं बाउण्ड्रीवाल की संरचना का मुआवजा 12,00,000/- रुपये होता है लेकिन मौके पर बनी हुई संरचना 1,32,00,000/- रुपये का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है न अदा किया गया है। मौके पर बना हुआ मकान कमरे एवं बाउण्ड्रीवाल मौके पर निर्मित है इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा विपक्षी को कई बार प्रतिवेदन दिये लेकिन विपक्षी द्वारा जानबूझकर इरादतन इसका सर्वे नहीं कराया गया, न ही मुआवजा तय किया गया क्योंकि विपक्षी जानबूझकर इसका मुआवजा अदा नहीं करना चाहता है। उक्त भूमि अवाप्त किये जाने के बाद इस पर सड़क निर्माण भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ ही नहीं किया गया इसलिये इसका मुआवजा तय नहीं किया गया है। वैसे भी उक्त भूमि ही गलत रूप से अवाप्त कर दी गयी हैं। मौके पर मकान बने हुए हैं। संरचना का स्थल निरीक्षण न्यायालय सिविल जज राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 63/2015 में पारित आदेश की अनुपालना में दिनांक 13.07.2015 को किया गया है जिसकी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 2 मंजिला मकान कमरा व बाउण्ड्रीवाल निर्मित होना प्रमाणित है। यह स्थल निरीक्षण न्यायालय के आदेश से प्रार्थी एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने मकान का संरचना का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्वेयर से भी सर्वे करा वेल्डिंग निकाली गयी है लेकिन विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के मकान का संरचना का मुआवजा तय ही नहीं किया गया है और जानबूझकर इसका निर्धारण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर बने हुए मकान, कमरे व बाउण्ड्रीवाल की लागत 1,32,00,000/- रुपये एवं भूमि का मुआवजा 88,45,000/- रुपये कुलिया 2,20,45,000/- रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस राशि पर प्रार्थी अवाप्ति दिनांक 6 जून, 2014 से 1 प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 4 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त मुआवजा राशि की 4 गुना राशि 8,81,80,000/- रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विपक्षी को मुआवजा निर्धारित करने एवं भुगतान करने के आदेश फरमाये जावें। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित अवधि में कोई क्लेम पेश नहीं किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधिपार होने से यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त फरमावें। विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 D के तहत आपत्तियों पर लिए गए निर्णयानुसार तहसीलदार, गढ़बोर से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं



मौके की जाँच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम लाम्बोडी के खसरा संख्या 1535/694 किस्म भूमि आवासीय व बारानी 1 अवाप्त क्षेत्रफल 8844.72 वर्ग फीट का नियमानुसार अवार्ड दिनांक 26.03.2018 द्वारा मुआवजा राशि 11,49,814/- रूपया का प्रार्थी को चैक संख्या 555575 जारी किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा लेने से मनाकर दिया गया है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त ओर कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा डी0एल0सी0 दर से निर्धारित करते हुए नियमानुसार भुगतान करना प्रमाणित पाया गया लेकिन अवाप्तशुदा भूमि पर मौके पर मकान, निर्मित होने की पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया मौका पर्चा दिनांक 14.03.2020 के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की मकान, निर्मित होना प्रमाणित पाया गया हैं उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा साक्ष्य सबूत के साथ प्रेषित किये गये क्लेम दस्तावेज के आधार पर एवं संरचना का मूल्यांकन करते हुए धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 सपटित द राईट टु फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेसन्सी इन लेण्ड एक्वीजीशन रिहेबिलीटेशन एण्ड रि सेटलमेंट एक्ट, 2013 (RFCTLARR ACT 2013) व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की अवार्ड पत्रावली प्रेषित हों।

Bello

(डॉ० भंवर लाल)

मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



Bello

(डॉ० भंवर लाल)

मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द